मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 2059

मद कमांक 1

राज्य शासन व्दारा लोक निर्माण विभाग के कार्यालयीन भवनों के अनुरक्षण एवं विशेष मरम्मत हेतु रूपये 115.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान करने का निर्णय लिया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

राज्य शासन व्दारा लोक निर्माण विभाग के कार्यालयीन भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु रूपये 30.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान करने निर्णय लिया है, ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

राज्य शासन व्दारा राज्य के कार्यालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत का निर्णय लिया है, जिस पर इस वर्ष रूपये 80.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

राज्य शासन व्दारा तकनीकी भवनों का रखरखाव कराने निर्णय लिया है, जिस पर इस वर्ष रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2216

मद कमांक 5

राज्य शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के आवासीय भवनों के अनुरक्षण कार्य के लिए 20.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान का निर्णय लिया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 6

राज्य शासन द्वारा शासकीय आवासीय भवनों के सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत अनुरक्षण के लिए के लिए 110.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान का निर्णय लिया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4059

मद कमांक 7

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्यालयीन भवनें के निर्माण पर अतिरिक्त दायित्वों के भुगतान के लिये रूपये 20.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 8

राज्य शासन ने गंडई जिला राजनांदगांव में तहसील भवन कार्यालय का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है । जिसकी अनुमानित लागत रूपये 15.00 लाख है । जिस पर इस वर्ष रूपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9

राजभवन परिसर में केन्टीन, गैरेज एवं पार्किंग, 2 नग व्ही.आई.पी. सुटस् रूम, मुख्य बंगले की पुरानी खपरैल वाली छत को बदलने का निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया गया है, जिसकी अनु. लागत 85.44 लाख है, जिस पर इस वर्ष रूपये 12.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 10

सारंगढ़ जिला रायगढ़ में नवीन सिविल कोर्ट भवन निर्माण, जिसकी अनु. लागत रूपये 152.54 लाख है कराया जाना है, जिस पर इस वर्ष रूपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 11

राज्य शासन ने उपभोक्ता अदालतों के अधोसंरचना का सुदृढ़िकरण, कार्यालय भवनों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, जिस पर इस वर्ष रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद कमांक 12

राज्य शासन व्दारा लिये गये निर्णय के अनुसार बिलासपुर में जिला स्तरीय खेल परिसर के निर्माण के लंबित दायित्व के भुगतान हेतु इस वर्ष रूपये 118.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 13

राज्य शासन व्दारा रायपुर में एस्ट्रो टर्फ हाकी मैदान एवं स्टेडियम के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिस पर इस वर्ष रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 14

राज्य शासन व्दारा रायपुर में खेलों के विकास के लिये खेल अकादमी के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिस पर इस वर्ष रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद कमांक 15

शासकीय बी.एस.सी. नर्सिग कॉलेज रायपुर के भवन निर्माण जिसकी अनु. लागत रूपये 394.00 लाख है पर इस वर्ष रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4216

मद कमांक 16

विधान सभा आवासीय परिसर में 54 नग आवासगृह के लिए सर्विस लाईन एवं स्ट्रीट लाईट के निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, जिसकी अनु. लागत रूपये 54.00 लाख है, जिस पर इस वर्ष रूपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 17

उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आवासीय परिसर के भवन निर्माण हेतु रूपये 500.00 लाख के अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 18

डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव तथा खैरागढ़ जिला कवर्धा के न्याय प्रशासन स्टाफ के लिए आवास गृह निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिस पर इस वर्ष रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4403

मद कमांक 19

कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में शेड/भवन आदि के निर्माण कराने हेतु रूपये 62.90 लाख का व्यय होगा, जो विभागीय बचत की राशि से समर्पण कर किया जावेगा ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 62,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 20

राज्य शासन ने पशुपालन हेतु राज्य की 3 प्रयोग शालाओं के भवन निर्माण हेतु रूपये 57.90 लाख का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अत: इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 57,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।